न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र : – 15/2024

1. मैसर्स आशापूर्णा रियल एस्टेट एण्ड ओमस जरिये भागीदार श्रवणसिंह पुत्र गोपालसिंह एवम् सूर्यवीरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी बी जे एस जोधपुर ।

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीमति सायर देवी पत्नि लाधूराम जी जाति विश्नोई निवासी ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2. तहसीलदार, लूणी
3. स्व. मूलाराम पुत्र पेमाराम के कायम मुकामः–
   1. मीरा पत्नी मूलाराम
   2. मोहनलाल पुत्र मूलाराम
   3. धनीदेवी पुत्री मूलाराम
   4. सीता पुत्री मूलाराम
   5. शंकरलाल पुत्र मूलाराम
   6. पार्वती पुत्री मूलाराम
   7. सुगना पुत्री मूलाराम
   8. वीराराम पुत्र मूलाराम
   9. संगीता पुत्री मूलाराम
   10. खरताराम पुत्र मूलाराम समस्त निवासीगण मेघवालों का बास ग्राम भाकरासनी जिला जोधपुर
4. सेणकी पुत्री पेमाराम ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

.....**अप्रार्थीगण**

– – –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन दवे व श्री हनुमान प्रजापति।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह व श्री भागीरथ विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार

दिनांक :– 22.5.2026

–: आदेश :–

1. हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम–1956 का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 403/368 रकबा 1.6768 हेक्टर वाके ग्राम भाकरासनी पटवार हल्का तनावडा तहसील लूणी में आई हुई है जो कि पूर्व मे मूल खसरा 232/4 रकबा 2.8287 हैक्टेयर भूमि का था जिसे खातेदारान ने उपरोक्त खसरे की भूमि प्रार्थी द्वारा कय की गई जिसके खसरा नंबर 403/368 रकबा 1.6768 हेक्टर दर्ज किया गया। प्रार्थी की कृषि भूमि के पूर्वी दिशा में खसरा नंबर 217/1 अप्रार्थी संख्या

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

1 की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी एवम् अप्रार्थी की भूमि के मध्य कच्ची माठ अर्थात अस्थाई माठ है। प्रार्थी द्वारा वक्त खरीद से ही अप्रार्थी को बुला कर समझाया कि प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 के बीच मे स्थित माठ पर स्थाई मुटाम कायम करवा दिया जाये जिस पर अप्रार्थी द्वारा पूर्व मे सहमति प्रदान की प्रार्थी द्वारा यह कहा गया कि मूल खसरा नंबर 232/4 रकबा 2.87 हैक्टेयर का सीमाज्ञान भी करवाया जा चूका था तथा स्पष्ट मुटाम सीमाज्ञान दिनांक 30.11.2005 को ही निर्धारित कर दिये गये थे। परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है जबकि अप्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि पर अस्थाई मुटाम कायम करवाने का अधिकार है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि मे अस्थाई माठ होने से भविष्य में विवाद की ज्यादा प्रबल हो सकती है। ऐसी स्थिति ने प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य माठ की पत्थरगढी की जाकर स्थाई माठ कायम किया जाना आवश्यक है ताकि विवाद न रहे तथा सीमाज्ञान के आधार पर स्थाई मुटायम कायम किया जाना कानूनी लाजमी है। अप्रार्थी द्वारा हाल मे दिनांक 28.08.2024 को मौके पर माठ को लेकर के विवाद उत्पन्न किया एवम् स्थाई मुटाम लगाने हेतू इंकारी की और पूर्व की सीमा रिपोर्ट पर मनमाने तौर पर कथन किये तब प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 403/368 रकबा 1.6768 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी एवम् अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 217/1 के मध्य सीमा पर स्थाई मुटाम कायम कर पत्थरगढी कायम किये जाने का आदेश फरमावे का निवेदन किया है।

2. प्रकरण न्यायालय में दिनांक 10.09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 30.11.2005 के अनुसार खसरा नंबर 203 के खातेदार ने अतिक्रमण किया है, न कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अतः खसरा संख्या 203 के खातेदारों को पक्षकारान बनाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई दिनांक 13.5.2025 को स्वीकार किया गया एवं संशोधित शीर्षक को रिकार्ड पर लिया गया। सुनवाई दिनांक 30.6.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण को भेजे गये समन की रजिस्टर्ड एडी की रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण की तामिली होने से पत्रावली में जवाब हेतु अवसर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 29.7.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी एवं प्रार्थी के मध्य आज दिन तक कच्ची माठ एवं अस्थाई माठ को लेकर कोई विवाद नहीं है प्रार्थी द्वारा झुठ एवं मनगढत तथ्य पेश किए है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट में खसरा नंबर 203 द्वारा खसरा नंबर 232/4 के उत्तर दिशा में अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खेत खसरा संख्या 403/368 पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। सीमाज्ञान रिपोर्ट देखने पर भी यह ताहिद होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर खसरा नंबर 203 के खातेदारों का ही कब्जा किया गया है न ही अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कब्जा है। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी मात्र एक खातेदार को ही पक्षकार बनाकार नहीं किया जा सकता है जबकि कानूनन इस हेतु भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में दिनांक 29.7.2025 को अप्रार्थी सैणकी एवं मूलाराम के विधिक वारिसानों की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित 151 सीपीसी प्रस्तुत कर गैरी एवं मूलाराम को स्वर्गवास होने से विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लेने एवं गैरी का नाम विलोपित किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। स्व. मूलाराम के विधिक वारिसानों की ओर से दिनांक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

29.7.2025 को ही अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गोयल द्वारा वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल किया गया।

3. प्रकरण में सुनवाई दिनांक 19.5.2026 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर गैरी एवं मूलाराम को स्वर्गवास होने से विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिया गया एवं गैरी का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 19.5.2026 को अप्रार्थी संख्या 3 (3/1 से 3/10) व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उपस्थित की अंतिम बहस सुनी गई।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि ग्राम भाकरासनी पटवार मण्डल तनावडा के खसरा नंबर 403/368 रकबा 1.6768 हैक्टेयर की पत्थरगढी करवाना चाहता है। संलग्न जमाबंदी संवत 2078 स्थायी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी नंबर 403/368 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। एक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के सीमांकन एवं पत्थरगढी का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं बहस अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी के मध्य आज दिन तक कच्ची माठ एवं अस्थाई माठ को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खेत खसरा संख्या 403/368 पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि प्रार्थी की खातेदारी पर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का अतिक्रमण है, न कि अप्रार्थी संख्या 1 का। शेष अप्रार्थीगणों द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, जमाबंदी, अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब का अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों के सीमाओं के मध्य (मौके पर माठ को लेकर) विवाद की स्थिति है। विधिक रूप से एक खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एव पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार प्राप्त हैं। चुंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों के मध्य भूमि की माठों के मध्य विवाद प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। पत्रावली में सीमाज्ञान मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 30.11.2005 एवं 21.11.2022 का भी अवलोकन किया गया।

6. यह स्पष्ट है कि सीमा विवाद होने से पत्थरगढी करवाने का एक खातेदार को पूर्ण अधिकार है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत परिपोषणीय होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 403/368 रकबा 1.6768 हेक्टेयर वाके ग्राम भाकरासनी की जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे के अनुसार पत्थरगढ़ी कार्यवाही समस्त पक्षकारान को सूचित करते हुये करवायी जाकर पालना सुनिश्चित करे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(हॅसमुख कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी